कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः– श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :– **सर्वश्री एस0एम0सी0पनेयूमेटिक्स प्रा0लि0, डी–107 से 112 फेस–2, एक्स0नोएडा।**

प्रा0प0सं0– **4 |3 / 2008**

प्रार्थी की ओर से– **श्री अतुल शर्मा, एडवोकेट ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा–59 के अर्न्तगतनिर्णय

|– प्रार्थी के द्वारा दिनांक 17–||–2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि उनका व्यापार मशीनरी पार्ट (जिसे एयर कन्ट्रोल इक्यूपमेन्ट भी कहते है)का निर्माण कर बिक्री करने का है। व्यापारी द्वारा उक्त मशीनरी पार्ट के निर्माण में प्रयुक्त रामैटेरियल का आयात देश/विदेश से किया जाता है तथा विदेशी सप्लायर इस रामैटेरियल को 'पार्टस आफ एयर कन्ट्रोल इक्यूपमेन्टस "के नाम देश में भेजते है। से करते है ।

व्यापारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा देश के बाहर से तीन तरह का सामान मंगायाय जाता है जो निम्नवत् हैः–

|– Stainless Steel rods of full length.

2–pipes [other than pipes made of Iron and steel] of full length

3-Components and parts required to manufacture the machinery parts [know as " Air Control Equipments".]

अतः उनके द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि उपरोक्त तीनों वस्तुओं पर प्रवेश कर का दायित्व बनता है अथवा नहीं?

उ0प्र0सरकार द्वारा प्रवेश कर के सम्बन्ध में जारी विज्ञप्ति संख्या–क0नि0– 2–2757/ ग्यारह –9 (|)/08/उ0प्र0अधि–30–2007–आदेश–(31)–2008दिनांक29–9–08 निम्नवत् हैः–

क0स0	माल का विवरण	कर की दर
1	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित कच्चा तेल	माल के मूल्य का 5%
2	मशीन और मशीन के पुर्जे जिनकी कीमत 10 लाख रुपये या उससे अधिक हो	माल के मूल्य का 2%
3	प्राकृतिक गैस	माल के मूल्य का 5%
4	बिना लेवी की चीनी	माल के मूल्य का 2%
5	सिगरेट के रुप में तम्बाकू	माल के मूल्य का 5%
6	लिखने, मुद्रण या पैकिंग में उपयोग का कागज, जिसमें समाचार पत्र का कागज सम्मिलित नहीं है	माल के मूल्य का 5%
7	तम्बाकु युक्त पान मसाला (गुटका)	माल के मूल्य का 5%
8	सीमेन्ट	माल के मूल्य का 2%
9	कोयला	माल के मूल्य का 2%
10	भारत के बाहर से आयातित सभी प्रकार के और सभी वृक्षो के, चाहे वे किसी भी प्रजाति के हो, काष्ट और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियां और बांस भी है, चाहे वे उगाई जा रही हो या काट दी गयी हो या चीरी गयी हो	माल के मूल्य का 4%
11	हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर कैरोसिन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उसमें जन वितरण प्रणाली का कैरोसिन आयल सम्मिलित नहीं है।	माल के मूल्य का 5%
12	क्लिंकर	माल के मूल्य का 5%
13	ट्रैक्टर को छोड़कर सभी प्रकार के मोटर व्हैकिल्स एवं इनके चेसिस	माल के मूल्य का |%

14	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा–14 में यथापरिभाषित लोहा और इस्पात	माल के मूल्य का I%
15	एल्यूमिनियम एवं इसके उत्पाद जिसमें एल्यूमिनियम के बर्तन सम्मिलित नहीं है।	माल के मूल्य का 2%
16	सभी प्रकार के केबिल्स	माल के मूल्य का 2%
17	लैपटाप, कम्पयूटर सिस्टम और पेरीफेरल्स, टी0वी0जिसमें एल0सी0डी0 टी0वी0 सम्मिलित है	माल के मूल्य का 2%
18	टायर एवं टयूब्स जिसमें साइकिल, साइकिल रिक्शा एवं पशुचालित वाहन के टायर एवं टयूब्स सम्मिलित नहीं है।	माल के मूल्य का 2%
19	मार्बल पत्थर एवं इनके टाइल्स	माल के मूल्य का 2%
20	रेफ्रीजरेटर, एअर कन्डीशनर एवं कन्डिशनिंग प्लान्टस	माल के मूल्य का 5%

उक्त विज्ञप्ति के क्रमांक–14 को शासकीय विज्ञप्ति संख्या–क0नि0– 2–104/ ग्यारह–9 (I)/ 08–उ0प्र0अधि0–30–2007–आदेश(38)–2009दिनांक 15–1–09 द्वारा उक्त प्रविष्टि का क्रमांक–14 निम्नप्रकार संशोधित किया गया है:–

14	निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़ कर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित लोहा और इस्पात :– (प) पिग आयरन, स्पंज आयरन एवं कास्ट आयरन जिसके अन्तर्गत इनगट मोल्डस, बाटम, प्लेटस, आयरन स्क्रैप, कास्ट आयरन स्क्रैप, रनर स्क्रैप एवं आयरन स्कल स्क्रैप सम्मिलित (पप) स्टील सेमीज(सभी क्वालिटियों, आकृतियों और आकारों की सिल्लियॉ, पटिटयॉ, ब्लूम और बिलेट) (पपप) पिघले इस्पात के सभी रुप के स्क्रैप, जिनके अन्तर्गत इस्पात के स्कल, खरादन और वेदन भी है, (पअ) तार–वेल्लित, खींचे गये, जस्तेदार, अल्यूमिनियम–युक्त, कलईदार या विलेसित जैसे तॉबे से ।	माल के मूल्य का I प्रतिशत

2– व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–I वाणिज्य कर, नोएडा जोन, नोएडा द्वारा पत्र संख्या–2194 दिनांक 17–12–2008 से आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें उनके अनुसार क्रमांक 1, 2, 3 पर अंकित वस्तुयें एयर कन्ट्रोलिंग इक्यूपमेन्ट में प्रयोग हेतु कम्पोनेन्टस तथा पार्टस है, जो मशीनरी पार्टस के अन्तर्गत आते है तथा उनके अनुसार उक्त वस्तुओं का आयात एयर कन्ट्रोल इक्यूपमेन्ट में रा–मैटेरियल के रुप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संदर्भित वस्तुयें मशीनरी पार्टस के अन्तर्गत आती है तथा इनका मूल्य रु010 लाख से अधिक होने पर स्थानीय एरिया में प्रान्त के बाहर से मंगाये जाने पर प्रवेश कर की देयता बनती है।

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री अतुल शर्मा, एडवोकेट उपस्थित हुयें तथा उनके द्वारा बताया गया कि प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत रु010 लाख से अधिक मशीनरी एवं मशीनरी पार्टस पर प्रवेश कर का दायित्व निर्धारित है । उनके द्वारा जो स्टेनलेस स्टील राड का परिवहन किया जाता है उस पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत आयरन होने के कारण प्रवेश कर का दायित्व बनेगा परन्तु आयरन स्टील के अतिरिक्त जो पाइप मंगाया जा रहा है उस पर प्रवेश कर का कोई दायित्व नहीं

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

सर्वश्री एस0एम0सी0पनेयूमेटिक्स प्रा0लि0, डी—107 से 112 फेस—2, एक्स0नोएडा।

प्रा0प0सं0— **4 |3 / 2008**

बनता है । इसके अतिरिक्त उन्होनें यह भी बताया कि कम्पोनेन्टस पार्टस जो मशीनरी पार्टस के निर्माण में प्रयोग किये जाते है, उन पर अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश कर का दायित्व नहीं बनता है। जैसे उनके द्वारा उक्त के अन्तर्गत प्लास्टिक मोल्डस, तार आदि का आयात किया जाता है तथा यह स्वंय में न तो मशीनरी की तरह प्रयोग हो सकता है और न ही यह पार्टस की तरह प्रयोग हो सकता है ।

अपने कथन के समर्थन में व्यापारी द्वारा देश के बाहर स्थिति फर्म M/S S M C CORPORATION,AKIHABARA UDX 15F,4-14-1,SOTOKANDA ,CHIYODA-KU,TOKYO 101-0021,JAPAN के विभिन्न इन्वायस जॉच हेतु प्रस्तुत किये गये जिसमें आयातित वस्तु का नाम " PARTS OF AIR CONTROL EQUIPMENT" अकिंत है तथा संलग्न शीट में भी उक्त का कोड एवं पार्ट नम्बर अंकित है जिससे स्पष्ट होता है कि आयातित वस्तु मशीनरी पार्टस है । यही नहीं संलग्न / प्रस्तुत परचेज आर्डर में प्रत्येक वस्तु का जो नाम अंकित है उससे भी उपरोक्त मशीनरी पार्टस होना स्पष्ट है।

व्यापारी द्वारा जो पाइप के सैम्पुल मेरे समक्ष दिखाये गये है उनमें पाइप में चूड़ियॉ आदि बनी हुई थी तथा जो प्लास्टिक मोल्डस दिखाये गये है वह भी एक निश्चित साइज, डिजाइन के थे, केवल उसमें पेंच आदि लगना रह गया था तथा इन्हीं पार्टस व अन्य आदि को ेमउइसम करके मशीन का निर्माण किया जाता है। उक्त तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि व्यापारी द्वारा जो प्लास्टिक मोल्डस का आयात किया जा रहा है वह भी मशीनरी पार्टस है तथा उनका एक निश्चित साइज है तथा उन पार्टस पर भेजने वाली फर्म का कोड नम्बर भी आवंटित है तथा व्यापारी द्वारा स्वयं उन्हें च्।त्ै व्थ् AIR CONTROL EQUIPMENT" के नाम से वस्तु का आयात किया जा रहा है। अतः आयातित वस्तु या तो स्वंय मशीनरी है या मशीनरी पार्टस है । अतः उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 29—9—08 के क्रमांक—2 पर अंकित मशीन और मशीनरी पार्टस के अन्तर्गत आने के कारण उस पर प्रवेश कर की देयता बनती है।

5— प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा—59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 10 फरवरी, 2009

ह0 / 10—2—09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।